

# फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थी महेन्द्र विपक्षी प्रमीला  
 किस्म मुकदमा वाद पत्रावली संख्या 67/21

क्रमांक कार्यवाही विवरण

18.6.25

जवाबती पत्रावली वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रत्येक लम्बे समय से साक्ष्यवादी हेतु नियत है। वादी को अग्रज लगवाई गई बावजूद उसके न्यायालय समय समाप्तितक कोई उपस्थित नहीं हुआ, जिससे जाहिर है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है तथा वाद चलाना नहीं चाहते हैं।

अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 8 के तहत अग्रज हाजरी - भद्रम पैरवी में खारिज किया जाएगा। निर्णय करे - उजलाम सुनाया गया। प्रकरण फ़ैसलानुसार होकर नम्बर से कम हो।



(आनंद कुमार)  
 IAS